

दावा आपत्ति किस प्रकार के प्रकरण में स्वीकार किये जायेंगे ?

- i. यदि किसी अभ्यर्थी जिसका मूलनिवासी ,वर्ग , संवर्ग सभी समान है तथा प्री डीएलएड /प्री बी एड परीक्षा में प्राप्तांक आपसे कम है एवं उसका चयन उस महाविद्यालय में हो गया जहाँ का विकल्प आपने भी दिया था जबकि आपका चयन नहीं हुआ है | वर्ग का अर्थ SC/ST/OBC से है | संवर्ग का मतलब महिला /फ्रीडम फाइटर / दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिक से है |(इसका प्रमाण भी देना होगा)
- ii. डीएलएड के मामले में शासकीय डाइट / बी.टी.आई वाले प्रकरण में संकाय जैसे साइंस व other than science भी समान है और कम प्राप्तांक वाले का चयन हो गया है | ऐसे प्रकरण स्वीकार किये जायेंगे |

किस प्रकार के दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किये जायेंगे

- i. वर्ग संवर्ग भरने में त्रुटी हो गई है |
 - ii. डोमेसाईल सम्बंधित त्रुटी हो गई है |
 - iii. नाम /पिता का नाम/ माता का नाम इत्यादी में त्रुटी हो गयी है |
 - iv. गलती से दूसरे कॉलेज का विकल्प दे दिया था |
 - v. विकल्प नहीं दे पाया |
 - vi. किसी अपरिहार्य कारणों से काउंसलिंग में फॉर्म नहीं भर पाया |
- इस प्रकार की त्रुटीयों का सुधार अगले चरण में किया जाएगा |